



Neutral Citation No - 2026:AHC:43003

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या - 2026 की 4296

गरिमा सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कैलाश नाथ सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2026 को पारित आदेश के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 3/अपर जिलाधिकारी (भूमि एवं राजस्व), जौनपुर/मुख्य राजस्व अधिकारी की ओर से व्यक्तिगत शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

2. उसके परिशीलन के पश्चात्, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि चूँकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित अनुतोष अनुमत किया जा चुका है, अतः प्रकरण में कोई और आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान याचिका अब निष्फल हो गई है तथा उसे निष्फल हो जाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

3. प्रकरण की इस स्थिति में, वर्तमान याचिका निष्फल हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"